



2026:AHC: 2469

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19531 वर्ष 2025

शिव कुमारी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

अतिप्रिया गौतम

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ केसरवानी और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता दिवंगत विजय बहादुर सिंह, कांस्टेबल की पत्नी हैं, जिनकी मृत्यु 26.04.2009 को झूटी के दौरान हो गई थी और रिट याचिकाकर्ता असाधारण पेंशन का दावा करती हैं।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना असाधारण पेंशन प्रदान करने के लिए है।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर द्वितीय प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/स्थापना डी.जी.पी., मुख्यालय, पुलिस भवन, शहीद पथ, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार, उ.प्र., लखनऊ द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
5. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 22.01.2026 तक द्वितीय प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक/स्थापना डी.जी.पी., मुख्यालय, पुलिस भवन, शहीद पथ, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार, उ.प्र., लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, द्वितीय प्रतिवादी तीन महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

7 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.